न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी– पीयुष समारिया
आई0ए0एस0

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

राजस्व अपील सं0 202/2019

1. किशन लाल पुत्र रामलाल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम बडोली तहसील दौसा जिला दौसा।

...अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये उप तहसीलदार सैंथल तहसील दौसा जिला दौसा।

...रेस्पोडेन्ट

न्यायालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दौसा

अपील विरूद्व निर्णय उप तहसीलदार सैंथल दिनांक 23.10.2019 प्रकरण उनवानी सरकार बनाम किशनलाल मु0नं0 225/2019 अंतर्गत धारा 91 राज0 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट।

उपस्थित : 1. श्री जितेन्द्र कुमार शर्मा, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री भानू प्रताप सिंह, पैरोकार सरकार

निर्णय दिनांकः 16.03.2021

संक्षिप्त विवरण अपील इस प्रकार है कि उप तहसीलदार, सैंथल ने दिनाक 23.10.2019 को ग्राम बडोली तहसील दौसा के आ0ख0नं0 369 के रकबा 0.50 है0 किस्म चरागाह पर संवत 2076 में बाजरा की काश्त कर अतिचार करने पर अपीलांट को अतिक्रमण का दोषी मानते हुए बेदखली, पैनल्टी एवं 90 दिवस के सिविल कारावास की सजा का आदेश पारित कर दिया गया। इसी आदेश से असंतुष्ट होकर यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गयी। रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मंगवाई गई। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट पक्ष द्वारा अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि अपीलांट द्वारा किसी भी सरकारी भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई व सबूत पेश करने का अवसर नहीं दिया है। अपीलांट का पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने का भी प्रमाण व सबूत पत्रावली मे नही है। अपीलांट को पटवारी हल्का से जिरह का अवसर भी नहीं दिया गया। पटवारी हल्का की रिपोर्ट भी प्रदर्शित नहीं हुई है। पटवारी हल्का के बयान भी अपीलांट के सामने नहीं हुए है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.10.2019 को निरस्त फरमाया जावें।

पैरोकार सरकार द्वारा बहस में निवेदन किया गया है कि प्रश्नगत भूमि पर बाजरा की काश्तकर अतिक्रमित भूमि की रिपोर्ट धारा 91 पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत करने पर गिरदावर हल्का से जांच करवाई गई। गिरदावर हल्का की जॉच के हस्ताक्षर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट धारा 91 पर मौजूद है। पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत संलग्न रिपोर्ट धारा 91 पर बाजरा की काश्त कर अतिक्रमण करना अंकित किया है। अपीलांट को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम–1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया है। नोटिस की तामील पर स्वयं अपीलांट के हस्ताक्षर अंकित है जो पत्रावली में संलग्न है। अपीलांट बाद तामील अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित नही हुआ। अतः अपीलांट का यह कथन उचित नहीं है कि अपीलांट को समुचित सुनवाई व सबूत एवं जिरह का अवसर नहीं दिया जाकर निर्णय पारित किया गया है। अपीलांट अतिक्रमी की श्रेणी में आता है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रह जाती है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावें।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया । पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रश्नगत भूमि की रिपोर्ट धारा 91 पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट धारा 91 की जॉच गिरदावर हल्का से करवाई गई। गिरदावर हल्का की जॉच के हस्ताक्षर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट धारा 91 पर मौजूद है। अपीलांट द्वारा अपील मीमों में अंकित तथ्यों पर गौर किया गया। अपीलांट को पटवारी हल्का की रिपोर्ट में राजकीय चरागाह भूमि पर बाजरा की काश्तकर अतिक्रमण करना अंकित किया है। जिस पर भू अभिलेख निरीक्षक की जांच अंकित है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को अतिक्रमण का दोषी मानते हुए निर्णय दिनांक 23.10.2019 द्वारा बेदखली, पैनल्टी एवं 90 दिवस के सिविल कारावास से दंडित करने का आदेश पारित किया गया है। अपीलांट के द्वारा चरागाह भूमि पर से अतिक्रमण हटा लिया जाना, वर्तमान मे कोई अतिक्रमण नही होने एवं भविष्य मे अतिक्रमण नही करने बाबत शपथ–पत्र प्रस्तुत किया है, जो पत्रावली में संलग्न है। हम अपीलांट के प्रस्तुत शपथ–पत्र को ध्यान में रखते हुए अतिक्रमी के प्रति नरमी का रुख अपनाया जाकर सिविल कारावास की सजा पर विचार किया जाना उचित समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रुप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार सैंथल जिला दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.10.2019 में से सिविल कारावास की सजा अतिक्रमण हटा लेने की शर्त पर निरस्त कर शेष आदेश यथावत रखा जाता है अन्यथा सिविल कारावास की सजा सहित अधीनस्थ न्यायालय का उक्त आदेश यथावत रहेगा। अपीलांट द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत शपथ–पत्र में अंकित तथ्यों का भौतिक सत्यापन अधीनस्थ न्यायालय स्वयं करें। अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली मय अपीलांट द्वारा प्रस्तुत शपथ–पत्र की छाया प्रति व निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो एवं बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ट लेख भण्डार हो।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(पीयुष समारिया)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 16.03.2021 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित कर खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(पीयुष समारिया)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर, दौसा